



Pise NAC

AAI/RHS/NR/ATM/NOC/2022/661/4124-27

मालिक का नाम एवं पता
OWNERS Name & Address

CRA DEVELOPERS LLP
26 B, Aravali Kang, Delhi-110085

दिनांक/DATE:

30-09-2022

वैधता/Valid Up to:

29-09-2030

ऊँचाई की अनुमति हेतु अनापत्ति प्रमाण प्रमाणपत्र (नो.ओ.सी.)
No Objection Certificate for Height Clearance

- 1) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आय.आर.) द्वारा प्रदात दायित्वी के अनुमति तथा सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रवाह हेतु अवर संचर (अवर विमान संशोधन) की अधिनियमों की. एन. आर. 751 (ई) दिनांक 20 सितम्बर, 2015, और एन. आर. 770 (ई) दिनांक 17 दिसंबर 2020 द्वारा संशोधित, के प्राधान्य के अंतर्गत दिया जाता है।
1. This NDC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Gov. of India (Ministry of Civil Aviation) order OSR751 (E) dated 30th Sep 2015 amended by OSR770(E) dated 17th Dec 2020 for safe and Regular Aircraft Operations.
- 2) इस कार्यलय को निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तावित संरचना के निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है।
2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी / NOC ID	PALM/NORTH/5/09/422/697925
आवेदक का नाम / Applicant Name*	Rajinder Khurana
स्थल का पता / Site Address*	Plot No. Plot 02(a), Sector-32, Pocket-2/Block-B, Rohini, New Delhi, Rohini, North West Delhi, Delhi
स्थल के निर्देशांक / Site Coordinates*	28 44 16.68N 77 04 19.59E, 28 44 19.62N 77 04 31.31E, 28 44 15.65N 77 04 22.11E, 28 44 18.54N 77 04 23.72E
स्थल की ऊँचाई एलएमएसएल मोटर में (जीएसएल समुद्र तल से ऊपर), (जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया) / Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	215.59 M
अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई एलएमएसएल मोटर में (जीएसएल समुद्र तल से ऊपर) / Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	325.59 M

* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant*

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है :-
3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

- क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की सत्यापन कर आ तो उपलब्धतापूर्वक जांच करता है, और ना ही इनको प्रमाणिकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुमत्य माना जायेगा तथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रचाली अधिकारी द्वारा एवाक्राफ्ट निम्न 1994 (संशुद्ध, यूसी आरि के कारण अपरोध का विषय) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authentic the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demarcation of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994*.
- ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सहाक इश्य मानचित्र और उपलब्ध मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुमत्यनक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विवाद के मामले में, अंकित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।
b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.
- ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ हुई सन्मन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।
c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.
- घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) को गणना अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई (ए एन एन एन) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमत्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।
d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL. I.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PALM/NOCTIS/D/191422/897925

- घ) अनापत्ति प्रमाण पर जारी करना, भारतीय एयरलाइन्स ऐक्ट 1934, के सेक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समक-समक पर जारी अधिसूचनाएँ तथा एयरलाइन्स नियम (1994 मानक, सूची आदि के कारण अवरोध का निवारण) के अंतर्गत है।
 2. The issue of the NOC is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"
- ङ) कोई भी रेडियो टेली फोनलाइन, लाइटनिंग अरेस्टर, सोडिया, मूर्तियाँ, पत्तियों की ढकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपकरण पैरा 2 में उल्लेखित अनुसूचक अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
 2. No radio-TV Antenna, lightning arrestors, statues, Murnya, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.
- च) विमानपत्तन सेटिंग बिंदु के 8 KM के भीतर लेन, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुरे भर खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।
 2. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point
- छ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिनोवेटेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध परतारी की सन्धि की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।
 6. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the MOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.
- ज) मानक के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समक स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइट्स का संयोजन नहीं अपनाया जाएगा जिससे तोषार, अकृति या चर के कारण डैनसिफिक वायुमंडल अक्षुब्ध के साथ क्षम उत्पन्न हो। विमान के मुक्ति प्रकाशन से प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।
 1. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flight.
- झ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रकाशन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायतदाता नहीं किया जाएगा।
 1. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- ञ) 2 महीने तथा सहायक बिन्दुओं अपूर्ण सहित न्यूनतम लाइटिंग (डीसीपीए भारत की वेबसाइट www.dcaa.in पर उपलब्ध) लागू विमानन आवश्यकताओं सेक्यूलर 'बी' पार्ट 1 सेक्शन-4 के पैराम 6 तथा अनुसूचक 6 में विनिर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
 6. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part 1 Section 4, available on DGCA India website www.dgca.in
- ट) शवक के ब्लॉक के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से सेवा आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस प्रकार हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रकाशन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/कारण के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
 1. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearance is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- ड) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी की जा सकेगा I.G.J Airport,Robini Helipont,Safajung Airport,Sampa विमानपत्तन के संघ में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के विमानसेवा और अन्य लाइसेंस प्राप्त शक्ति विमानसेवा, जे.जी. एच. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग-1), अनुसूची - IV (भाग -2), केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची - VII में सूचीबद्ध है, के लिए जारी किया गया है।
 m. This NOC ID has been issued with respect to the I.G.J Airport,Robini Helipont,Safajung Airport,Sampa Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV (Part-1), Schedule-IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR770(E)
- ण) यदि शकल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि अधिसूचना 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से उतार से अनापत्ति प्रमाणपत्र सेवा होगा है। अधिसूचना 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के जिनके, जे.जी. एच. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - IV (भाग -2), आरक्षण हवाई अड्डों के अलावा के रूप में सूचीबद्ध विमान लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।
 n. Applicant needs to seek separate NOC from Defense, if the site lies within the jurisdiction of Defense Aerodromes as listed in Schedule - V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)
- त) अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन/एसी) की किसी भी पुनर्विचारण की विधियों में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा।
 o. In case of any disagreement/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- थ) शकल की उच्चाई और/वा शकल की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुसूचक अधिकतम ऊँचाई परमपरासम ही मान्य होगी।
 p. In case of any dispute with respect to the elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.

रीजन का नाम / Region Name: उत्तर/NOCTH

<p>पदनामित अधिकारी/Designated Officer</p> <p>नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date</p>	<p>30/09/22</p> <p>सुपर विड/आपरेटिवर सिंगल मैनेजर (एटीएम) / General Manager (ATM) एटीएम विभाग/ATM/Airports Author, of PDC आरओपी केडर/Operational Officer, ARPI कांगड़ा रोड/कांगड़ा रोड, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश Kangra Road, Kangra, Him Dham</p>
<p>दस्तावेज तैयार Prepared by</p>	<p>30/07/2022</p> <p>Navneeta Devi Bom (ATM)</p>
<p>द्वारा जांचा गया/ Verified by</p>	<p>30/09/22</p> <p>Sheeraj Kumar DAM(ATM)</p>

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_north@aai.gov.in
फोन/ Pn: 011-25653551

ANNEXURE/संलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीचौरिन

Airport Name/विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/ निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीचौरिन (डिग्री)
L.G.I Airport	19117.55	347.38
Rohini Heliport	2018.32	135.69
Rohitaling Airport	21455.02	321.31
Sample	26286.09	109.23
NOCTD	PALM/NORTH/B/091422/697925	

Street View



September 14, 2022





भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

PALM/NORTH/0/091422/897925

Satellite View



November 11, 2022

1:5000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000